न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 18/171

रामशरण मोदी पुत्र स्व0 श्री रामजी दास मोदी आयु 55 वर्ष जाति महाजन निवासी मकान नम्बर 16–17 बी तलवंडी कोटा तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।

———अपीलान्ट

बनाम

रामभगत मोदी आयु 62 वर्ष पुत्र स्व0 श्री रामजी दास मोदी जाति महाजन निवासी मोडक स्टेशन तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा ।

———रेस्पोडन्ट

उपस्थित :– 1. श्री अरूण कुमार जैन, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।
2. श्री नरेन्द्र गुप्ता, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट की ओर से

दिनांक: 14.06.2019

निर्णय

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, रामगंजमण्डी जिला कोटा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 08.03.2018 के विरूद्ध पेश की गई है ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि प्रार्थी रेस्पोडेन्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का पेश कर कथन किया कि ग्राम सातलखेडी तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा में प्रार्थी के खाते एवं कब्जे काश्त की आराजी खाता संख्या 201 की खसरा नम्बर 11 की रकबा 0.16 हैक्टर तथा खसरा नम्बर 14 की 0.58 हैक्टर कुल 02 किता की कुल रकबा 0.74 हैक्टर भूमि स्थित है । उक्त भूमि प्रार्थी द्वार पूर्व खातेदार ए0एस0आई कम्पनी से जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र क्रय की जाकर बहैसियत खातेदार काबिज काश्त चला आ रहा है । अप्रार्थी लीज होल्डर है और गेप एरिया की लीज संख्या 45/91 अप्रार्थी को राज्य सरकार द्वारा खनन कार्य हेतु स्वीकृत की हुई है । राज्य सरकार द्वारा लीज में यह प्रावधान है कि स्वीकृत लीज क्षेत्र में यदि किसी प्राईवेट खातेदार की कृषि भूमि स्थित है तो नियमानुसार उक्त भूमि का मुआवजा खनन कार्य से पूर्व धारा 8 एल0आर0 एक्ट के प्रावधानुसार निर्धारित कराकर मुआवजा सम्बन्धित खातेदार को भुगतान कर

के पश्चात् जिलाधीश महोदय की अनुमति से खनन कार्य करने को अधिकृत होता है । अप्रार्थी ने लीज स्वीकृति से आज तक प्रार्थी के खाते एवं कब्जे काश्त की उक्त आराजीयात के लिये न तो आपसी बातचीत से मुआवजा राशि तय की है और न ही विधिवत रूप से जिलाधीश महोदय से मुआवजा राशि निर्धारित करवायी है और न ही प्रार्थी की उक्त आरजीयात में खनन कार्य हेतु कोई सहमति प्राप्त की है । इस कारण अप्रार्थी को प्रार्थी की उक्त आराजीयात में उक्त कार्यवाही पूर्ण किये बिना खनन कार्य करने का काई वैधानिक अधिकार प्राप्त नहीं है । अप्रार्थी प्रार्थी के खाते एवं कब्जे काश्त की उक्त आराजीयात पर जबरन ताकत के बल पर बिना मुआवजा राशि निर्धारित कराये और बिना मुआवजा राशि भुगतान किये और बिना प्रार्थी की सहमति के खनन कार्य करने को आमादा है । प्रथमदृष्टया प्रकरण प्रार्थी के पक्ष में है तथा सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णीय क्षति की संभावना भी प्रार्थी के पक्ष में है ।

3. अतः अप्रार्थी को इस आशय की अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि अप्रार्थी दौराने वाद प्रार्थी के खाते एवं कब्जे काश्त की आराजी खाता संख्या 201 की खसरा नम्बर 11 की रकबा 0.16 हैक्टर तथा खसरा नम्बर 14 की 0.58 हैक्टर कुल 02 किता की कुल रकबा 0.74 हैक्टर भूमि वाके ग्राम सातलखेडी तहसील रामगंजमण्डी का शांतिपूर्वक उपयोग उपभोग करते रहने दे । इसमें किसी प्रकार की मदाखलत मजाहमत न तो स्वयं उत्पन्न करे और न ही ऐसा कोई कार्य अपने किसी परिजन अथवा एजेन्ट से करावे और अप्रार्थी उक्त आराजीयात में बिना प्रार्थी को मुआवजा भुगतान किये और बिना प्रार्थी की सहमति के कोई खनन कार्य या खनन से सम्बन्धित कोई कार्य न तो स्वयं करे और न ही अपने किसी प्रतिनिधि से करावे ।

4. अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 08.03.2018 के द्वारा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुए अप्रार्थी को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किये जाने का आदेश पारित किया ।

5. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त अपीलाधीन आदेश दिनांक 08.03.2018 से व्यथित होकर अप्रार्थी अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा खसरा गिरदावरी में पडत अंकित होने की तजवीज देने के उपरान्त भी आराजी को काश्त आराजी मानने में कानूनी भूल की है । राजस्व रिकॉर्ड में मात्र नाम होने के आधार पर वादग्रस्त आराजी पर रेस्पोडेन्ट का स्वत्व मानने तथा अपीलान्ट का कोई अख्तयार हासिल नहीं होने की तजवीज कानून के विरूद्ध है । पूर्व खातेदार बलदेव सिंह ने उसकी अन्य भूमि सहित इस आराजीयात पर खनन कार्य करने की सहमति देते हुए कब्जा संभलाया हुआ है । इस आराजी पर कभी एएसआई कम्पनी का भी कब्जा नहीं रहा न कभी काश्त की । दिनांक 10.06.1991 से इस पर खनन गतिविधियॉ संचालित हो रही हैं । पूर्व खातेदार बलदेव ने ही वर्ष 1991 से कब्जा रामजीदास मोदी का संभला दिया था, कब्जा अपीलान्ट का ही है । आराजी पर रेस्पोडेन्ट का कब्जा नहीं है । तथाकथित बेचान व विक्रय पत्र अपीलान्ट के हक अधिकारों के मुकाबले प्रारम्भ से ही शून्य व बेअसर है । प्रार्थी रेस्पोडेन्ट अधीनस्थ न्यायालय में क्लीन हैण्ड से नहीं आया है । अपीलान्ट एवं रेस्पोडेन्ट दोनों सगे भाई हैं । रेस्पोडेन्ट को यह पूर्णतः जानकारी है कि यह आराजी खसरा नम्बर 11 व 14 जिसके साबिक खसरा नम्बर 09 व 10 थे । खसरा नम्बर 11 व 14 खसरा नम्बर 09 व 10 से बने हैं जिसका खातेदार बलदेव सिंह पुत्र रामकरण जाति जाट निवासी सातलखेडी तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा था, जिसने यह आराज़ी अन्य आराजी के साथ दिनांक 10.06.1991 को प्रतिवादी के पिता स्व0 श्री रामजीदास मोदी को मुआवजा राशि

201000/– अक्षरे रूपये दो लाख एक हजार रूपया लेकर उसकी आराजी में खनन कार्य करने हेतु सहमति देते हुए कब्जा संभला दिया था और नियमानुसार सहमति पत्र निष्पादित करवा दिया था तभी से उक्त भूमि पर कृषि कार्य नहीं हुआ है । बलदेव सिंह की सहमति के आधार पर खनिज विभाग ने नियामानुसार खनन लीज पट्टा जारी किया है । उक्त आराजी खनन लीज पट्टा संख्या 45/91 का एक भाग है जो प्रार्थी सहित सभी की जानकारी में है । उक्त आराजी पर खनन कार्य व खनन गतिविधियॉ चल रही हैं । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय पारित किया है वह त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 08.03.2018 निरस्त फरमाया जावे ।

6. अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस सुनी गई ।

7. अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराया और निवेदन किया कि रेस्पोडेन्ट प्रार्थी ने अधीनस्थ न्यायालय में एक दावा अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का पेश कर उक्त वाद के साथ एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का पेश किया जिसे अधीनस्थ न्यायालय ने विधि–विरूद्ध रूप से स्वीकार किया है । निर्णय कयास पर आधारित है । अपीलान्ट के द्वारा जो न्यायिक दृष्टांत पेश किये गये थे उनका उल्लेख नहीं किया गया है । अधीनस्थ न्यायालय का यह मत कि वादग्रस्त आराजी खनन क्षेत्र में स्थित है, इस तथ्य को स्वीकार नहीं किया जा सकता, रिकॉर्ड एवं वास्तविकता के विरूद्ध है । खसरा गिरदावरी में आराजी पडत है । राजस्व रिकॉर्ड में नाम अंकित होने के आधार पर रेस्पोडेन्ट का स्वत्व नहीं माना है । राजस्व रिकॉर्ड में इन्द्राज स्वामित्व का निश्चय प्रमाण नहीं होता है । विक्रय पत्र में कब्जा लिख देने मात्र से कब्जा माना है । पूर्व खातेदार बलदेव सिंह ने अन्य भूमि सहित इस आराजी पर भी खनन कार्य की सहमति देते हुए कब्जा संभलाया था । इस आराजी पर कभी भी ए.एस.आई. कम्पनी का कब्जा नहीं रहा है । सन् 1991 से इस पर खनन की गतिविधि संचालित हो रही है । पूर्व खातेदार ने सन् 1991 में कब्जा रामजीदास मोदी को संभला दिया था अब कब्जा अपीलान्ट का है । वादी रेस्पोडेन्ट का इस पर कभी भी कब्जा नहीं रहा है । रेस्पोडेन्ट वादी क्लीन हैण्ड से नहीं आये है। आराजी खसरा नम्बर 11 एवं 14 के साबिक खसरा नम्बर 09 और 10 थे इनके खातेदार बलदेवसिंह थे इसके बाबत् बलदेव सिंह को दो लाख एक हजार रूपया मुआवजा लेकर सन् 1991 में अपीलान्ट के पिता रामजी दास मोदी के पक्ष में सहमति जारी की थी और सहमति पत्र निष्पादित किया था । सन् 1991 से इस पर कृषि कार्य नहीं हुआ है । बलदेव सिंह की सहमति के आधार पर खनन विभाग ने नियमानुसार खनन पट्टा जारी किया है । खनन लीज सन् 2027 तक स्वीकृत की जा चुकी है । बलदेव सिंह मुआवजा राशि प्राप्त कर चुके हैं । रेस्पोडेन्ट अब दोबारा मुआवजा राशि प्राप्त करने के अधिकारी नहीं हैं । आराजी खनन पट्टा 45/91 का भाग है । एएसआई कम्पनी और रेस्पोडेन्ट के पक्ष में हुए समस्त हस्तानन्तरण शून्य है । जो वादग्रस्त आराजी पर बलदेव सिंह का ही कब्जा नहीं था तो उनके द्वारा रेस्पोडेन्ट को कब्ज कब दिया गया । धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का दावा कब्जेधारी काश्तकार ला सकता है । कब्जे के अभाव में दावा एवं अस्थायी निषेधाज्ञा चलने योग्य नहीं है । सिवि न्यायालय के निर्णय की अपील न्यायालय अपर न्यायाधीश में विचाराधीन है । इन समस्त तथ

के आधार पर अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 08.03.2018 निरस्त फरमाया जावे । उन्होंने अपने पक्ष के समर्थन में एआईआर 1951 (पटना) पेज 546, आरआरडी 1978 पेज 377, डीएनजे 2004 (एससी) पेज 263, डब्ल्यूएलसी 2015 (1) पेज 448, आरआरडी 2016 पेज 01, आरआरडी 2016 पेज 135, एआईआर 1998 (उडीसा) पेज 117, सीसीसी 2007 (1) पेज 107, आरआरटी 2013 (2) पेज 1051, आरआरटी 2013 (1) पेज 85, आरआरडी 1993 पेज 504, आरआरडी 1988 पेज 143 उद्धरत की ।

8. रेस्पोडेन्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि वादग्रस्त आराजी रेस्पोडेन्ट के खाते एवं कब्जे की है उक्त आराजी प्रार्थी रेस्पोडेन्ट के द्वारा पूर्व खातेदार एएसआई कम्पनी से जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से क्रय की थी । अप्रार्थी लीज होल्डर है और गेप एरिया की लीज संख्या 45/91 अप्रार्थी अपीलान्ट को खनन कार्य हेतु स्वीकृत की गई है । प्रार्थी रेस्पोडेन्ट के खाते एवं कब्जे की आराजी अप्रार्थी के गेर एरिया लीज क्षेत्र में स्थित है और अप्रार्थी का खनन कार्य खसरा नम्बर 14 की पूर्व दिशा में चल रहा है । अप्रार्थी अपीलान्ट को राज्य सरकार के द्वारा जो लीज स्वीकृत की गई है उसमें यह अंकित है कि यदि किसी प्राइवेट खातेदार की भूमि स्थित है तो नियमानुसार उस भूमि का मुआवजा खनन कार्य से पूर्व धारा 89 एल0आर0 एक्ट के तहत सम्बन्धित खातेदार को भुगतान कर जिलाधीश की अनुमति से खनन कार्य कर करें । अपीलान्ट के द्वारा न तो मुआवजा राशि तय की है और न ही जिलाधीश महोदय से मुआवजा राशि तय करवायी है । प्रार्थी ने खनन कार्य हेतु काई सहमति नहीं दी है । इस कारण अपीलान्ट को खनन कार्य करने का कोई अधिकार नहीं है । अपीलान्ट बिना मुआवजा राशि दिये, बिना सहमति लिये खनन कार्य करना चाहते हैं जो विधि– विरूद्ध है । खसरा गिरदावरी में आराजी पडत दर्ज है, खनन कार्य अंकित नहीं है, सहमति पत्र बलदेव सिंह ने नहीं दिया है वरन् कूटरचित है जिस मामले में प्रकरण सिविल न्यायालय में विचाराधीन है । सिविल न्यायालय के निर्णय दिनांक 20.12.2017 में वादग्रस्त आराजी पर अपीलान्ट का कब्जा नहीं माना है । रेस्पोडेन्ट के पक्ष में जो विक्रय पत्र निष्पादित किया गया है उसमें कब्जा दिया जाना अंकित है। अपीलान्ट ने जो शपथ पत्र खनन विभाग में दिया गया है उसमें खनन कार्य प्रारम्भ किया जाना अंकित नहीं किया गया है। सिविल न्यायलाय का निर्णय प्रीवेल (Prevail) करेगा और उसमे स्पष्ट रूप से यह निर्धारित किया गया है कि अपीलान्ट का वादग्रस्त आराजी पर कब्जा नहीं है । खनन अधिकारियों की रिपोर्ट दिनांक 09.06.2017 और दिनांक 19/06/2017 में भी खनन कार्य वादग्रस्त आराजी पर होना नहीं बताया गया है । शपथ पत्र के चरण संख्या 07 में अपीलान्ट द्वारा खनन कार्य प्रारम्भ नहीं होना अंकित किया गया है । अपीलान्ट के पास कोई पंजीकृत सहमति पत्र नहीं है । माननीय उच्च न्यायालय द्वारा डी0बी0 रिट पीटिशन संख्या 1267/2011 में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि पंजीकृत सहमति पत्र खातेदार से प्राप्त किया जाना आवश्यक है तभी खनन कार्य प्रारम्भ किया जा सकता है । इन तथ्यों के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है । अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 08.03.2018 बहाल रखा जावे । उन्होंने अपने पक्ष के समर्थन में आरआरडी 2000 पेज 137 उद्धरत की ।

9. हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया एंव उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया । अपील में सिविल न्यायाधीश का आदेश दिनिांक 10.10.2017 की फोटो प्रति,

माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय दिनांक 08.11.2017 की फोटो प्रति और सिविल न्यायाधी रामगंजमण्डी के निर्णय दिनांक 20.02.2017 की फोटो प्रति संलग्न की गई हैं । इसके अला फोटो प्रति नकल जमाबन्दी संवत् 2070–73 संलग्न है जिसके अनुसार वादग्रस्त आराज रेस्पोडेन्ट के खाते में दर्ज है । माइनिंग विभाग के परिपत्र दिनांक 10.09.2010 की फोटो प्र संलग्न है ।

10. अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर नक्शा ट्रेस की फोटो प्रति, नकल जमाबन्दी संव 2070–73 की फोटो प्रति संलग्न है जिसके अनुसार वादग्रस्त आराजी प्रार्थी रेस्पोडेन्ट के खात में दर्ज है । मिलान क्षेत्रफल की फोटो प्रति, खनन विभाग का कार्यालय आदेश दिनांक 01.10.2001 की फोटो प्रति, सहमति पत्र दिनांक 10.06.1991 की फोटो प्रति, विक्रय पत्र दिनांक 20.09.2010 की फोटो प्रति संलग्न है जिसके अनुसार वादग्रस्त आराजी ए.एसआई. कम्पनी से प्रार्थी रेस्पोडेन्ट ने जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से क्रय की है । पत्रावली पर खनन अभियन्ता का पत्र दिनांक 22.06.2017 संलग्न है जिसमें अपीलान्ट को खातेदार से रजिस्टर्ड सहमति प्राप्त करने के निर्देश दिये हैं । मौका रिपोर्ट दिनांक 09.06.2017 संलगन है उसमें खातेदार की बिना सहमति मौके पर झडाई कार्य किया जाना अंकित है । पत्रावली पर एक अन्य मौका रिपोर्ट संलग्न है जिसमें खनन पट्टेधारी को बिना खातेदार की सहमति के खनन कार्य नहीं करने हेतु पाबन्द किया जाना अंकित किया गया है । पत्रावली पर संलग्न फोटो प्रति विक्रय पत्र दिनांक 02.02.2011 जो कि एसआई कम्पनी के द्वारा प्रार्थी रेस्पोडेन्ट के पक्ष में निष्पादित किया गया है उसमें बेचानशुदा आराजी का कब्जा क्रेता को दिया जाना अंकित है और एक अन्य विक्रय पत्र बलदेव सिंह के द्वारा एएसआई कम्पनी के पक्ष में दिनांक 09.08.93 को निष्पादित किया गया है । पत्रावली पर अपीलान्ट के द्वारा उप पंजीयक को लिखे गये पत्र की फोटो प्रति संलग्न है जिसमें उनके द्वारा ग्राम सातलखेडी लीज क्षेत्र की 279.06 बीघा आराजी में खनन कार्य नहीं किये जाना और खातेदारान के द्वारा कृषि प्रयोजनार्थ उपयोग किया जाना अंकित किया गया है । पत्रावली पर अपीलान्ट के एक शपथ पत्र की प्रति भी संलग्न है जिसके बिन्दु संख्या 07 में उनके द्वारा यह कथन किया गया है कि राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 30.09.2010 के बिन्दु संख्या 3 और 4 में दिये गये अनुसार पालना करने के उपरान्त ही खनन पट्टा क्षेत्र में खनन कार्य करूंगा/खनन पट्टा क्षेत्र में आने वाले खातेदारों की भूमि के बाबत् सम्बन्धित खातेदारों से रजिस्टर्ड सहमति पत्र प्राप्त कर विभाग में प्रस्तुत करने के उपरान्त ही खनन कार्य किये जाने का वचन देता हूँ ।

11. इस प्रकार पत्रावली पर जो दस्तावेजात संलग्न हैं उनके अनुसार वादग्रस्त आराजी रेस्पोडेन्ट प्रार्थी के खाते एवं कब्जे की है । खनन विभाग के परिपत्र दिनांक 30.09.2010 के अनुसार खातेदार की पंजीकृत सहमति के उपरान्त ही खनन कार्य प्रारम्भ किया जा सकता है और इस आदेश की अनुपालना में अपीलान्ट ने स्वयं शपथ पत्र खनन विभाग के समक्ष प्रस्तुत किया हुआ है जिसके बिन्दु संख्या 07 में यह अंकित किया है कि खनन क्षेत्र में आने वाले खातेदारान से पंजीकृत सहमति लेने के उपरान्त ही वो खनन कार्य करेंगे । अपीलान्ट के द्वारा खातेदार से कोई पंजीकृत सहमति पत्र प्राप्त नहीं किया गया है । पूर्व में बलदेव सिंह से जो सहमति पत्र प्राप्त करने का कथन किया है कि वह पंजीकृत नहीं है और रेस्पोडेन्ट के द्वारा इसके कूटरचित होने का कथन किया गया है । अपीलान्ट ने स्वयं उप पंजीयक कार्यालय में जो पत्र दिया है उसमें सातलखेडी में खातेदारी की आराजी पर खनन कार्य नहीं किया जाना और कृषि भूमि के

रूप में उपयोग होने का कथन कया है । सिविल न्यायालय में अपीलान्ट के द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 39 नियम 1 व 2 एवं धारा 151 सीपीसी पेश किया था उसमे वादग्रस्त आराजी पर अपीलान्ट का कब्जा नहीं माना है और उनका अस्थायी निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र खारिज किया है । आरआरडी 2000 पेज 132 के अनुसार सिविल न्यायालय का निर्णय अन्य न्यायालय पर बाईडिंग (binding) प्रभाव रखेगा । पत्रावली पर खनन अभियन्ता का आदेश दिनांक 22.06.2017 भी संलग्न है जिसमें उनसे बिना रजिस्टर्ड सहमति के अपीलान्ट को खनन कार्य नहीं करने की हिदायत दी गई है और मौका रिपोर्ट दिनांक 19.06.2017 में भी बिना पंजीकृत सहमति के खनन कार्य नहीं करने की हिदायत दी गई है । माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय रिट याचिका संख्या 12674/2011 में भी यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 30.09.2010 की अनुपालना में पंजीकृत सहमति के उपरान्त ही खातेदारी की आराजी में खनन कार्य प्रारम्भ किया जा सकता है ।

12. विद्धान् अभिभाषक अपीलान्ट के द्वारा जो नजीरें उद्धरत की गई हैं उनमें से मुख्य रूप से यही कथन किया गया है कि बिना कब्जे के धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत दावा एवं उसके तहत पेश किये गये प्रार्थना पत्र मेन्टेनेबल नहीं है । परन्तु यह प्रस्तुत प्रकरण पर चस्पा नहीं होती हैं क्योंकि वादग्रस्त आराजी प्रार्थी रेस्पोडेन्ट के खाते एवं कब्जे की है और अपीलान्ट के द्वारा रेस्पोडेन्ट खातेदार से पंजीकृत सहमति प्राप्त नहीं की गई है । सिविल न्यायलाय ने भी उनका वादग्रस्त आराजी पर कब्जा नहीं माना है और खनन विभाग ने भी उनको खातेदार से पंजीकृत सहमति प्राप्त करने के उपरान्त ही खनन कार्य करने की हिदायत प्रदान की है ।

13. इन समस्त तथ्यों के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय ने विधि सम्मत रूप से प्रार्थी रेस्पोडेन्ट के पक्ष में अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की है जिसमें हम किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं समझते हैं ।

14. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 08.03.2018 बहाल रखा जाता है ।

15. निर्णय आज दिनांक 14.06.2019 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

14/6/19

(भागवती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा